

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं.-10/2023-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 10 मई, 2023

सा.का.नि....(अ).- केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उप-नियम (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2020 -केन्द्रीय कर, दिनांक 21 मार्च 2020, जिसे सा.का.नि. 196 (अ), दिनांक 21 मार्च 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुच्छेद में, 01 अगस्त 2023 से प्रभावी, शब्द "दस करोड़ रुपये" के स्थान पर शब्द "पाँच करोड़ रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[फा.सं.-सी.बी.आई.सी.-20021/1/2023-जीएसटी]

(आलोक कुमार)
निदेशक

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 13/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 21 मार्च 2020 को सा.का.नि. 196 (अ), दिनांक 21 मार्च 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और उसका अंतिम संशोधन, अधिसूचना संख्या 17/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 1 अगस्त 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड ३, उपखंड (i) में सा.का.नि. 612(अ) दिनांक 1 अगस्त 2022, के द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया था।